

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
किसान भवन, 26 अरेरा हिल्स, भोपाल

ईमेल आईडी - niyaman.mpsamb@gmail.com

क्र/बोर्ड/नियमन/वि.अनु./Farmart Service/648/1521

भोपाल, दिनांक 10/06/2025

प्रति,

Farmart Service Private Limited,
2/50, विकास खंड, गोमती नगर,
लखनऊ-226010, उत्तरप्रदेश।

स्थानीय कार्यालय - Farmart Service Private Limited,
ए-4, समर्थ नगर, ओल्ड रेल्वे लाइन,
ग्वालियर-मध्यप्रदेश।

विषय :- मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी (एक से अधिक मंडी क्षेत्रों के लिये विशेष अनुज्ञप्ति)
नियम-2009 (यथासंशोधित) के अधीन विशेष अनुज्ञप्ति की अवधि बढ़ाने के संबंध में।

संदर्भ :- आपका आवेदन दिनांक 05/05/2025।

मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 की धारा 32-क के अधीन निर्मित नियम मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी (एक से अधिक मंडी क्षेत्रों के लिये विशेष अनुज्ञप्ति) नियम, 2009 (यथासंशोधित) के अधीन Farmart Service Private Limited. को विशेष अनुज्ञप्ति क्रमांक/S.L./2024/38 दिनांक 06/02/2024 स्वीकृत की गई है।

- संदर्भित आवेदन के माध्यम से उक्त अनंतिम स्वीकृत विशेष अनुज्ञप्ति की वैधता अवधि में आगामी 4 वर्षों की वृद्धि करने हेतु अनुरोध किया गया है।
- आवेदन पर विचारोपरांत अधिसूचित प्राधिकारी प्रबंध संचालक महोदय द्वारा Farmart Service Private Limited को नियम 2009 अंतर्गत नियम 10 के तहत स्वीकृत विशेष अनुज्ञप्ति क्रमांक/S.L./2024/38 दिनांक 06/02/2024 की वैधता अवधि में आगामी 4 वर्षों अर्थात् दिनांक 05/02/2029 तक वृद्धि करने की अनुमति प्रदान की गई है। विशेष अनुज्ञप्ति क्रमांक/S.L./2024/38 दिनांक 06/02/2024 अनुमोदित क्रय केंद्रों की अद्यतन सूची (परिशिष्ट -1) संलग्न है जोकि विशेष अनुज्ञप्ति क्रमांक/S.L./2024/38 दिनांक 06/02/2024 का भाग होगी। उक्त सभी क्रय केंद्रों को सम्मिलित कर अधिसूचित कृषि उपज की न्यूनतम क्रय मात्रा के संबंध में नियम 2009 की कंडिका 4(2) के प्रावधान लागू रहेंगे।
- नियम 2009 के नियम 6 के अधीन प्रतिभूति स्वरूप बैंक गारंटी/एफडीआर जमा करना अनिवार्य होगा। कृषकों को कृषि उपज का नियत समयसीमा में पूर्ण भुगतान करना अनिवार्य होगा।

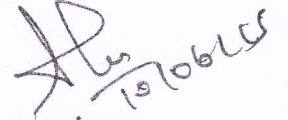
mail

5. नियम 2009 के नियम 10 के अधीन प्रसुविधाओं का सृजन करना अनिवार्य होगा।

6. अधिनियम, नियम, उपविधि, के प्रावधानों तथा ई-अनुज्ञा पोर्टल पर कार्य करने के दिशा-निर्देशों का पालन किया जाना बंधनकारी होगा।

(प्रबंध संचालक महोदय के अनुमोदन एवं आदेशानुसार जारी)

संलग्न - उपरोक्तानुसार।



संयुक्त संचालक

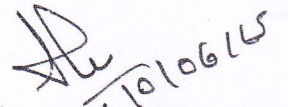
म प्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्र/बोर्ड/नियमन/वि.अनु./Farmart Service/648/1522 भोपाल, दिनांक 10/06/2025

प्रतिलिपि:-

1. संयुक्त संचालक, म प्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय _____ (समस्त) की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
अनुज्ञासिधारक से अधिनियम, नियम एवं उपविधियों का पूर्ण पालन सुनिश्चित कराया जाए। आपके स्तर से इस विषय की जानकारी संभाग की समस्त कृषि उपज मंडी समिति को दी जाए।
2. सचिव कृषि उपज मंडी समिति _____ जिला _____, म. प्र. (समस्त) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. सहायक संचालक (आईटी शाखा), म प्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल। विशेष अनुज्ञासिधारी Farmart Service Private Limited भोपाल को स्वीकृत विशेष अनुज्ञा (अद्यतन) की ई-अनुज्ञा पोर्टल में आवश्यक प्रविष्टि की जाए।





संयुक्त संचालक

म प्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

Farmart Service Private Limited,
2/50, विकास खंड, गोमती नगर,
लखनऊ-226010, उत्तरप्रदेश।

स्थानीय कार्यालय - Farmart Service Private Limited,
ए-4, समर्थ नगर, ओल्ड रेल्वे लाइन,
ग्वालियर-मध्यप्रदेश।

GSTIN - 23AACCF7560M1ZF

विशेष अनुज्ञप्ति क्रमांक/एस.एल./2024/38 दिनांक 06/02/2024
वैधता अवधि - दिनांक 05/02/2029 तक

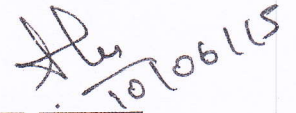
क्रय केंद्र सूची।

अनु क्र	अधिसूचित कृषि उपज का नाम जिसके कारबार हेतु विशेष अनुज्ञप्ति स्वीकृत/नवीनीकृत की गई है।	विनिर्दिष्ट मंडी क्षेत्र का नाम, जिसमें कारबार हेतु अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है।	संबंधित मंडी समिति का नाम	विनिर्दिष्ट मंडी क्षेत्र के अधीन अनुमोदित क्रय केंद्रों के नाम	कारबार का स्थान, कार्यालय का पता	कार्यालय प्रमुख का नाम, पदनाम एवं पता
1	2	3	4	5	6	7
1	“धान्य तथा दलहन” एवं “तिलहन”	गुना	गुना	दुर्गा वेयर हाउस गुना।	फार्मार्ट सर्विस प्रा. लि. ए-4, समर्थ नगर, ओल्ड रेल्वे लाइन ग्वालियर-म.प्र.	श्री मनोज उपाध्याय मो.नं-97545 06492
2	“धान्य तथा दलहन” एवं “तिलहन”	अशोकनगर	अशोकनगर	चन्देरी रोड अशोकनगर	फार्मार्ट सर्विस प्रा. लि. ए-4, समर्थ नगर, ओल्ड रेल्वे लाइन ग्वालियर-म.प्र.	श्री दीपक राय मो.नं-88961 08257
3	“धान्य तथा दलहन” एवं “तिलहन”	छिंदवाड़ा	छिंदवाड़ा	प्रा.लि. ग्राम बोरिया जिला छिन्दवाड़ा	फार्मार्ट सर्विस प्रा. लि. ए-4, समर्थ नगर, ओल्ड रेल्वे लाइन ग्वालियर-म.प्र.	श्री आकाश यादव मो.नं-70803 03638

4	“धान्य तथा दलहन” एवं “तिलहन”	चौरई	चौरई	बाजार चौक चांद पो. चांद तहसील चांद जिला छिन्दवाडा	फार्माट सर्विस प्रा. लि. ए-4, समर्थ नगर, ओल्ड रेल्वे लाइन ग्वालियर-म.प्र.	श्री ब्रजभूषण वर्मा मो.नं-62618 99925
---	------------------------------	------	------	---	---	---------------------------------------

(प्रबंध संचालक महोदय के अनुमोदन एवं आदेशानुसार जारी)




 संयुक्त संचालक
 म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
 भोपाल